Ph. No. & Fax No. (O):0135-2746934
E-mail : pccfuk@gmail.com

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 60 /16-5(2) दिनांकः देहरादून 27 जुलाई, 2024।

कार्यालय आदेश

वर्तमान समय में राज्य में मानसून काल सक्रिय है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विभिन्न स्थानों से जान–माल हेतु खतरनाक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजकीय मार्गों पर आंधी–तूफान अथवा अतिवृष्टि से वृक्षों के गिरने अथवा झुकने के कारण आवागमन बाधित होने पर ऐसे वृक्षों का तत्काल निस्तारण किया जाना आवश्यक हो जाता है। अतः आदेशित किया जाता है कि खतरनाक वृक्षों से जान–माल की सुरक्षा एवं सुचारू यातायात हेतु प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से ऐसे वृक्षों का उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ चिन्हीकरण कर वृक्षों के निस्तारण की कार्यवाही प्रचलित नियमों के अन्तर्गत तत्काल सुनिश्चित की जाये एवं की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

26/7

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)।

पत्रांक– 60 /16-5(2) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
5. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड बुक।

26/7

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)।